By Speed post

भारत सरकार

Government of India

राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

(A Constitutional Body set up under Art. 338A of the Constitution of India)

Case File No. BR/9/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV　　　　　Dated: 04.07.2018

To,

The Chairman cum Managing Director,
Central Coalfield Limited,
Darbhanga House,
Ranchi – 834 001 (Jharkhand).

Sub: Minutes of the Sitting taken by Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes (NCST) on 25.04.2018 in the matter of Shri Baijnath Ram, Chairman, SC/ST/BC Employees Co-ordination Council, CCL Zone, Ranchi, Jharkhand regarding fraud in examination copy of Babu Lal Manjhi, Clerk Grade-III.

Sir,

I am directed to enclose a copy of the Minutes of the Sitting held under the Chairmanship of Smt. Maya Chintamn Ivnate, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes on 25.04.2018 on the above mentioned subject for perusal.

It is requested that action taken report in the matter may please be sent to the Commission within 30 days positively for placing the same before the Hon'ble Member, NCST.

Yours faithfully,

(Y.K. Bansal)
Research Officer

Copy to:-

Shri Baijnath,
Chairman,
All India SC/ST/BC Employees
Co-ordination Council,
Village & Post – Bhurkunda Bazar,
(near Bharat Medical Hall)
District - Ramgarh – 829 106
(Jharkhand)

6th Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi -110003. Ph. 24601346 FAX: 24624628, 24657474
Toll Free: 1800117777　Website: http://ncst.nic.in

Copy to: - I-SAS, NIC, NCST.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

3. पत्रावली संख्या– बी.आर / 9 / 2017 / एम.सी.ओ.ली.1 / सी.ई.ओ.टी.एच / आर.यू–4

श्री बाबूलाल मांझी कैटेगरी–1 उरीमारी परियोजना, बरका–सयाल क्षेत्र, सेन्ट्रल कोल फिल्डस ली. को लिपिक श्रेणी III की परीक्षा कॉपी जांच में गडबडी कर पदोन्नति से वंचित किए जाने के बारे में श्री बैजनाथ राम अध्यक्ष ऑल इन्डिया शेडयुल्ड कास्टस / शेडयुल्ड ट्राईब्स / बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को–आर्डिनेशन कौन्सिल सी.सी.एल जोन रांची से प्राप्त शिकायती अभ्यावदेन पर माननीय सदस्या श्रीमति माया चिंतामण ईवनाते राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष दिनांक 25.4.2018 को मध्यान्ह 12:00 बजे हुई सिंटिग का कार्यवृत्त।

सिंटिग की तिथिः–25.4.2018 को मध्यान्ह 12 बजे

सिंटिग में भाग लेने वालो की सूचीः–परिशिष्ट क

श्री बैजनाथ राम, अध्यक्ष, ऑल इन्डिया शेडयुल्ड कास्टस / शेडयुल्ड ट्राईब्स / बॅकवर्ड क्लासेस एम्पलॉईज को–आर्डिनेशन कौन्सिल, सी.सी.एल जोन रांची–भुरकुंडा बाजार, जिला–रामगढ ने आयोग को सम्बोधित अभ्यावेदन दिनांक 19.6.2017 के तहत आरोपित किया है कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारी श्री बाबूलाल मांझी कैटेगरी–1 उरीमारी परियोजना, बरका–सयाल क्षेत्र, सेन्ट्रल कोल फिल्डस ली. को लिपिक श्रेणी III की परीक्षा कॉपी जांच में गडबडी कर पद्दोन्नति से वंचित किया गया है। कम्पनी ने पदोन्नति हेतु तीन अनुसूचित जनजाति के पदो हेतु परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें श्री बाबूलाल मांझी ने लिपिक श्रेणी III की परीक्षा जो कि दिनांक 31.3.2016 को हुई थी, में भाग लिया था, परंतु कम्पनी प्रबंधक ने प्रार्थी को जानबुझकर अनुतीर्ण घोषित कर दिया और अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पदो को नहीं भरां गया।

मामले में संज्ञान लेते हुए आयोग द्वारा पत्र दिनांक 8.8.2017 एवं अनुस्मारक दिनांक 20.3.2018 के तहत सेन्ट्रल कोल फिल्डस ली. प्रबंधन से जांच प्रतिवेदन मांगा था, किंतु सी.सी.एल से कोई जवाब आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। अतः आयोग की माननीय सदस्य श्रीमति माया चिंतामण ईवनाते द्वारा मामले पर चर्चा हेतु दिनांक 25.4.2018 को अपरहान 3 बजे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सी.सी.एल के साथ आयोग में सिंटिग निश्चित की गई।

चर्चा / सुनावई

प्रकरण पर चर्चा हेतु श्री गोपाल सिंह, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल कोल फील्डस लि. अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 25.4.2018 को आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। अभ्यावेदन कर्ता श्री बैजनाथ राम भी उक्त सिंटिग में उपस्थित रहें।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

माननीय सदस्य ने अभ्यावेदन कर्ता को उनकी समस्या आयोग को बताने के लिए कहा जिस पर अभ्यावेदन कर्ता ने अवगत कराया की श्री बाबुलाल मांझी कर्लक ग्रेड–III पद के लिए प्रोन्निति के पात्र है किंतु सी.सी.एल द्वारा उनको वर्ष 2016 से वंचित किया हुआ है। इस पर माननीय सदस्य ने सी.एम.डी, सी.सी.एल को स्थित स्पष्ट करने को कहा। सी.एम.डी, सी.सी.एल ने उनका पत्र दिनांक 24.4.2018 आयोग को प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया की श्री बाबुलाल मांझी के मामले में संपूर्ण विभागीय कार्रवाई करने के उपरांत उनको कर्लक ग्रेड–III के पद पर दिनांक 24.4.2018 से पदोन्नत कर दिया गया है। अतः श्री मांझी की शिकायत का समाधान हो गया है।

आयोग सेन्ट्रल कोल फील्डस लि. की उक्त कार्रवाई से संतुष्ट हुआ। चुंकि एक अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्य को वांछित पदोन्नित का लाभ प्राप्त हुआ है। आयोग की सलाह है कि भविष्य में सी.सी.एल प्रबंधन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारीगण के हित/लाभ के प्रति सहानुभति पुर्वक रवैया रखा जाए।

Smt. Maya Chintamn Ivnate
Member
National Commission for Scheduled Tribes
Govt. of India, New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार

बैठक की तिथि: 25.4.2018

(1) Case File No. BR/8/2016/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(2) Case File No. BR/3/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(3) Case File No. BR/6/2017/MCOL1/SEOTH/RU-IV
(4) Case File No. BR/9/2017/MCOL1/SEOTH/Ru-IV
(5) Case File No. MRM/1/2015/MCOL1/DEOTH/RU-IV

बैठक में भाग लेने वालों की सूचीं:–

National Commission for Scheduled Tribes

Sl. No.	Name and Designation
1.	Smt. Maya Chintamn Ivnate Hon'ble Member
2.	Shri S.K. Ratho, Joint Secretary, NCST
3.	Shri P.T. Jameskutty Deputy Secretary
4.	Shri Sudhir Atram PS to Hon'ble Member
5.	Shri H.R. Meena Sr. Investigator

Ministry of Coal (Central Coal Fields Ltd.)

Sl. No.	Name and Designation
1.	Shri Gopal Singh CMD
2.	Shri Manoj Kumr CM
3.	Shri Ashitava Mukherjee CM (M)
4.	Shri Babu Lal H Manager

Petitioner

Sl. No.	Name and Designation
1.	Shri Beijnath Ram